## ़ण'.न्यायालय डिवीजनल कमिश्नर, जोधपुर
***पीठसीन अधिकारी –बी एल कोठारी, आई.ए.एस***

***राजस्व द्वितीय अपील संख्या 326/2017***

| **अपीलान्टस** | **बनाम** | **रेस्पोडेन्टस** |
|---|---|---|
| रमदान पुत्र सुलेमान जाति मुसलमान निवासी– कुछडी तहसील व जिला जैसलमेर। | | 1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार जैसलमेर।<br>2. गुलाम रसूल पुत्र बचाये खॉ जाति मुसलमान निवासी–कुछडी तहसील जैसलमेर। |

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम विरूद्व आदेश दिनांक 22.09.2014 जो उपखण्ड अधिकारी, जैसलमेर के द्वारा राजस्व प्रकरण 17/2013 अनवान रमदान बनाम राज्य वगैराह में पारित किया

**उपस्थितिः––**

1. श्री मूलसिंह भाटी, अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से उपस्थित।
2. श्री ओमप्रकाश राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं 1 की ओर से उपस्थित।
3. श्री सिद्धार्थ परिहार अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 2 की ओर से उपस्थित।

निर्णय

दिनांकः 20 अगस्त, 2019

1. अपीलान्ट की ओर से यह प्रथम राजस्व अपील उपखण्ड अधिकारी, जैसलमेर के द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 17/2013 अनवान रमदान बनाम राज्य वगैराह में पारित आदेश दिनांक 22.09.2014 से व्यथित होकर न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

2. प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया तथा उपस्थित अभिभाषकगण के द्वारा की गई बहस को सुना।

3. अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने दौरान बहस अपील मिमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कहा कि अपीलान्ट द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैसलमेर के समक्ष राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 के तहत एक प्रार्थना पत्र पेश कर ग्राम मांधलणियों की ढाणी में उसकी खातेदारी कृषि भूमि आई हुई है उक्त भूमि में वर्ष 1971–72 में आवंटन होकर मौके पर अपीलान्ट को कब्जा सौपा गया तत्पश्चात भू–प्रबन्ध का राजस्व रेकार्ड लागू होने पर उक्त आवंटित कृषि भूमि ख0सं0 256 के मिन ख0सं0 256/1339 में रकबा 34.15 बीघा, 225/1337 में रकबा 12.00 बीघा, ख0सं0 252/1338 में 16.13 बीघा कुल 63.05 बीघा नवीन राजस्व ग्राम मांधलणियों की ढाणी में तरमीम कर अमल दरामद किया गया।

4. अपीलान्ट के अभिभाषक ने यह भी कथन किया कि अपीलान्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपने प्रार्थना पत्र में यह भी अंकित किया था कि पटवारी हल्का द्वारा राजस्व नक्शें में तरमीम करते समय ख0सं0 225/1337, व 252/1338 की सही तरमीम की लेकिन ख0सं0 256 मिन ख0सं0 256/1339 रकबा 34.15 बीधा का इन्द्राज करते समय नक्शे में से ख0ंस0 224 को विलोपित कर ख0सं0 256 में सम्मिलित कर दिया। जबकि मूल ख0सं0 256 ख0सं0 224 से दक्षिण की ओर आया हुआ है। भू प्रबन्ध विभाग के नक्शा में ख0सं0 224 रकबा 16.17 बीघा का इन्द्राज किया गया है जो प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नक्शा में दर्शाई गई भूमि ख0सं0 256 के मि ख0सं0 256/1339 रकबा 34.15 बीघा अनुसार मार्क हैं। ख0सं0 224 रकबा 16.17 बीघा भूमि को पटवारी हल्का के द्वारा राजस्व नक्शे में से विलोपित दर्शा दिया गया जो मूल सेटलमेन्ट के नक्शें से नकल करते समय ख0सं0 224 व 256 के मध्य रेखा को विलोपित कर दिया गया जबकि दोनों खसरे

अलग–अलग है। इस प्रकार की हुई त्रुटि लिपिकीय त्रुटि की श्रेणी में आती है जिसे दुरूस्त किया जावें तथा प्रार्थी के नाम ख0सं0 256 के मिन ख0सं0 256/1339 में 34.15 बीघा का इन्द्राज कर राजस्व रिकार्ड में सही तरमीम की जावें।

5. अपीलान्ट के अभिभाषक ने यह भी कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट प्रार्थी के राजस्व रेकर्ड में तरमीम दुरूस्ती के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को विधिक आधार का नहीं मानते हुए प्रार्थना पत्र को पोषणीय नहीं होने के आधार पर अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.9.2014 के द्वारा अस्वीकार कर दिया जिसके विरूद्ध अपीलान्ट के द्वारा यह प्रथम अपील प्रस्तुत की है।

6. अपीलान्ट के अभिभाषक ने यह भी कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलान्ट प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करने में विधिक भूल कारित की है क्योंकि उसके द्वारा प्रस्तुत राजस्व नक्शें की प्रति में प्रथम दृष्टया साबित हो रहा था कि राजस्व नक्शें में ख0सं0 256 कुल रकबा 93.10 बीघा में मिन ख0सं0 256/1339 में रकबा 34.15 बीघा खातेदारी में इन्द्राज की हुई तथा ख0सं0 224 व 256 के मध्य कोई रेखा नहीं बताई गई जिससे ख0सं0 224 विलोपित हो गया है। ख0सं0 224 की भूमि राजकीय पडत भूमि है। उक्त त्रुटि भू प्रबन्ध विभाग के नक्शें एवं पटवारी हल्का के पास उपलब्ध नक्शें में स्पष्ट प्रकट हो रही थी जबकि ख0सं0 224 व 256 अलग–अलग खसरे है एक नहीं। जिसे सुधार किया जाना आवश्यक था

7. अपीलान्ट प्रार्थी के द्वारा उक्त त्रुटि की दुरूस्ती हेतु ही यानि राजस्व रेकर्ड में हुई गलत इन्द्राज की दुरूस्ती हेतु राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 के तहत अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना प्रस्तुत किया गया था।

8. अपीलान्ट के अभिभाषक ने यह भी कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 गुलाम रसूल को गलत आधारों पर पक्षकार बनाया गया है जबकि अधिनस्थ न्यायालय ने माना है कि ख0सं0 256 रकबा 58.15 बीघा भूमि में गुलाम रसूल अतिक्रमी है और वह अपीलान्ट की कृषि भूमि ख0सं0

256/1339 पर भी अवैध रूप से कब्जा करने की कोशिश में लग रहा है। रेस्पो0 संख्या 2 का वादग्रस्त भूमि से कोई हक–हकूक स्थापित नहीं होते हैं। अतः अपीलान्ट की अपील को उपरोक्त आधारों पर स्वीकार की जावे तथा धारा 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत राजस्व नक्शे में हुई त्रुटि की दुरूस्ती किये जाने यानि राजस्व विभाग के नक्शें में खसरा संख्या 224 व 256 को भू प्रबन्ध विभाग के नक्शे अनुसार अलग–अलग रूप में दर्शाये जाने के आदेश प्रदान किये जावें।

9. इसके विपरित रेस्पोडेन्ट के अभिभाषक ने यह कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत कार्यवाही करते हुए अपीलान्ट प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 की परिधी में नहीं आने के कारण पोषणीय नहीं होने के आधार पर अस्वीकार किया गया है जो पूर्ण रूप से विधि अनुकूल है अतः अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.9.2014 यथावत बहाल रखा जावें।

10. रेस्पोडेन्ट के अभिभाषक ने यह भी कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0 संख्या एक के द्वारा यह जवाब पेश किया गया था कि अपीलान्ट का माधंलाणियों का गांव के ख0सं0 256/1339 का ख0सं0 256 का भाग नहीं होना, ख0सं0 224 की भूमि पर अपीलान्ट प्रार्थी का कभी कब्जा काश्त नहीं रहना, प्रार्थी अपीलान्ट द्वारा ख0सं0 256 में सम्वत 2070 में राजकीय भूमि पर अतिक्रमण कर अवैध काश्त करने पर अतिक्रमी घोषित करने तथा उस पर जुर्माना आरोपित कर बेदखल करने का निवेदन किया तथा उसके द्वारा राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 के तहत चाहा अनुतोष अस्वीकार करने का भी निवेदन किया था।

11. इसी प्रकार श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय ने अपीलान्ट प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को इस आधार पर भी अस्वीकार कर दिया था कि उसके द्वारा ग्राम मांधलाणियों के गांव के सिवाय चक ख0सं0 256 के कुल रकबा 58.15 बीघा में से कुछ भाग पर सम्वत 2070 में अतिक्रमण कर काश्त की थी तथा उसे वहां से

बेदखल भी किया गया था और अपने निर्णय में यह भी अंकित किया था कि उसे अवैध काश्त करने के आधार पर उसका कोई हक–हकूक उक्त भूमि पर स्थापित नहीं होता है और खसरा संख्या 224 पृथक खसरा है तथा प्रार्थी अपीलान्ट के ख0सं0 256/1339 को खसरा संख्या 256 का भाग होने बाबत कथनों की पुष्टि तहसीलदार के कथनों तथा राजस्व अभिलेख अनुसार नहीं होती है। ऐसे मे वह ख0सं0 256 के मिन ख0सं0 256/1339 रकबा 34.15 बीधा के रूप में माने जाने एवं तदानुसार तरमीम दुरूस्ती करवाने का विधिक अधिकार नहीं रखता है। इस प्रकार से अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा अपने आदेश दिनांक 22.9.2014 के द्वारा अपीलान्ट प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया गया है वह विधि अनुकूल उचित है जिसे बहाल रखा जावें।

12. हमने अपील एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया जिससे यह पाया जाता है कि अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जैसलमेर के द्वारा जो अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है वह उचित प्रतीत होता है क्योंकि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत हुए धारा 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में राजकीय पक्ष तहसीलदार जैसलमेर की ओर से प्रस्तुत जवाब में यह अंकित किया गया है कि खसरा संख्या 224 की भूमि पर प्रार्थी का कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है। प्रार्थी ने स्वयं ने ग्राम मांधलाणियों का गांव में सम्वत 2070 में राजकीय भूमि खसरा संख्या 256 पर अवैध कब्जा करते हुए काश्त किया गया था जिसे अतिक्रमी घोषित कर बेदखल किया गया था। तथा यह भी अंकित किया था कि ख0सं0 223 के पास लगता हुआ ख0सं0 224 है जो विलोपित नहीं है।

13. इसी प्रकार अपीलान्ट की ओर से न्यायालय हाजा के समक्ष भी ऐसे कोई नये तथ्य उजागर नही किये जिससे उक्त कथनों की असत्यता साबित होती हो। ख0सं0 224 राजकीय भूमि है जिस हेतु अपीलान्ट किसी प्रकार से उसका

खातेदार नहीं होने के कारण तरमीम दुरूस्ती का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं कर सकता है।

14. अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी जैसलमेर के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.9.2014 को यथावत जाता है निर्णय आज दिनांक 20.08.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

**(बी0एल0 कोठारी)**
**डिवीजनल कमिश्नर,**
**जोधपुर**